Rajasthan State Pollution Control Board

Headquarter, 4, Institutional Area, Jhalana Doongri, Jaipur-302004
Phone: 0141-271800, 271816 e-mail: member-secretary@rpcb.nic.in
Toll Free HelpLine No. : 18001806127 Ext. 7

क्रमांकः एफ.3(632)/रा.प्र.नि.मं./स्था./ 1449-1454 **दिनांकः 09/07/2025**

बिड संख्याः संस्थापन/1/2025–26

ई–बोली सूचना

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल, मुख्यालय, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूँगरी, जयपुर को 50 कम्प्यूटर मय ऑपरेटर (मशीन विद् मैन) 50 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एवं 15 वाहन चालक की संविदा आधार पर सेवाएं उपलब्ध करवाने हेतु पंजीकृत एवं अनुभवी फर्म/ठेकेदारों/संस्था/एजेन्सियों से वेबसाईट http://www.eproc.rajasthan.gov.inपर ऑनलाईन ई–बिड निम्नानुसार आमंत्रित की जाती है:–

क्र. स.	कार्य विवरण	अनुमानित राशि रूपये मे (बोली मूल्य) लाखों में	बोली प्रतिभूति (रूपये में) लाखों में	संविदा अवधि	बिड प्रारम्भ करने की दिनांक	बिड प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि व समय	तकनीकी बिड खोलने की दिनांक व समय
1	50 कम्प्यूटर मय ऑपरेटर (मशीन विद् मैन)	84	1.68	1 वर्ष	09.07.2025	28.7.2025 सायंकाल 6:00 बजे	29.7.2025 सुबह 11:00 बजे
2	50 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	70	1.40	1 वर्ष			
3	15 वाहन चालक	25	0.50	1 वर्ष			
	कुल	179					

इच्छुक बोलीदाता बिड प्रकाशन की दिनांक से बोली प्रपत्र वैबसाईट http://www.eproc.rajasthan.gov.in एवं www.sppp.rajasthan.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं तथा शर्तें एवं अन्य विवरण विभागीय वेबसाईट http://environment.rajasthan.gov.in/rpcbएवं उपापन पोर्टल पर देखे जा सकते हैं। बिड प्रपत्र एवं बोली प्रतिभूति राशि के बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल, जयपुर के तथा RISLफीस का डी.डी./बैंकर्स चैक प्रबन्ध निदेशक RISL सर्विसेस लिमिटेड नाम से देय होगा। जो बोलीदाता केवल एक या दो श्रेणियों हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहता है वे उस श्रेणी के अनुसार ही बोली प्रतिभूति राशि प्रस्तुत कर सकते है। बिना बोली प्रतिभूति के बिड स्वीकार नहीं होगी।
U.B.N.:-

सदस्य सचिव

क्रमांकः एफ.III(632)/ रा.प्र.नि.मं./स्था./1449-1454 **दिनांक 9/07/2025**

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं–

1. निजी सचिव, अध्यक्ष, रा.प्र.नि.मं., जयपुर।
2. वरिष्ठ निजी सहायक, सदस्य सचिव, रा.प्र.नि.मं., जयपुर।
3. वित्तीय सलाहकार, रा.प्र.नि.मं., जयपुर।

S.P. Singh
Member Secretary

C:\Users\lenovo\Desktop\Tendor Order Final 2025.docx

Rajasthan State Pollution Control Board

Headquarter, 4, Institutional Area, Jhalana Doongri, Jaipur-302004

Phone: 0141-271800, 271816 e-mail: member-secretary@rpcb.nic.in

Toll Free HelpLine No. : 18001806127 Ext. 7

4. प्रभारी अधिकारी (आई.टी. शाखा) को भेजकर लेख है कि उक्त बोली को EPROC विभागीय वेबसाईट तथा उपरोक्तानुसार वेबसाईट पर अपलोड करें।
5. निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि 12X8 से.मी. साईज में एक मुख्य राज्य स्तरीय 50 हजार से अधिक प्रतियों का परिचालन वाला मुख्य दैनिक समाचार पत्र तथा एक अखिल भारतीय स्तर का व्यापक प्रसार वाला दैनिक समाचार पत्र प्रकाशित कराने का श्रम करें तथा DIPR की दरों पर बिल भिजवाने की व्यवस्था करावें।
6. नोटिस बोर्ड, रा.प्र.नि.मं., जयपुर।

सदस्य सचिव

S.P. Singh
Member Secretary

Rajasthan State Pollution Control Board

Headquarter, 4, Institutional Area, Jhalana Doongri, Jaipur-302004
Phone: 0141-271800, 271816 e-mail: member-secretary@rpcb.nic.in
Toll Free HelpLine No. : 18001806127 Ext. 7

क्रमांकः एफ.3(632)/रा.प्र.नि.मं./स्था./ **दिनांकः**

बिड संख्याः संस्थापन/1/2025–26
कार्यालयः राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल
4, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर।

मैन पावर विद् मशीन, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एवं वाहन चालक

बोली विवरण	बोली राशि	फार्म राशि रूपये में	विवरण
50 मशीन विद् मैन (मैन पावर)	84 लाख	1000/–	ई–बोली द्वारा
50 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	70 लाख		
15 वाहन चालक	25 लाख		

Date of Publication of Bid Document	09.07.2025
Bid Uploding Start Date	09.07.2025
Last Date of physical submission of documents viz Bid document fees, RISL processing fees and Bid security	28.07.2025 06:00 PM
Last Date & Time of Uploding of Bid Document	28.07.2025 6:00 PM
Date & Time of Opening of Technical Bids	29.07.2025 11:00 AM

बोली दस्तावेज SPPP पोर्टल पर यूबीएन नम्बर .... से प्राप्त किये जा सकते हैं।

बोली शुल्क – 1000/–

सदस्य सचिव
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
4, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर–302004

(हस्ताक्षर बोलीदाता मय मोहर)

Rajasthan State Pollution Control Board

Headquarter, 4, Institutional Area, Jhalana Doongri, Jaipur-302004

Phone: 0141-271800, 271816 e-mail: member-secretary@rpcb.nic.in

Toll Free HelpLine No. : 18001806127 Ext. 7

बोली आमन्त्रण के प्रपत्रों का विवरण

क्र.सं.	विवरण	पेज संख्या
1.	बोली आमन्त्रण सूचना विवरण	5—7
2.	बोली हेतु दिशा—निर्देश	8
3.	सामान्य शर्तें	9—10
4.	विशिष्ट शर्तें	11—13
5.	तकनीकी बोली प्रपत्र	14—15
6.	बोलीदाता द्वारा घोषणा पत्र	16—19
7.	वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 04—02—2013 के एनेक्जर ए.बी. सी.डी. व ई	20—25
8.	निर्धारित प्रपत्र	26—27

Rajasthan State Pollution Control Board

Headquarter, 4, Institutional Area, Jhalana Doongri, Jaipur-302004

Phone: 0141-271800, 271816 e-mail: member-secretary@rpcb.nic.in

Toll Free HelpLine No. : 18001806127 Ext. 7

बोली आमन्त्रण सूचना विवरण (बिड संख्याः संस्थापन/01/2025–26)

1	उपादान प्राधिकारी का नाम एवं पता	कार्यालय अध्यक्ष (प्रभारी अधिकारी संस्थापन शाखा) राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (रा.प्र.नि.मं.), पताः राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, 4, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर–302004 (राजस्थान)
2	विषय–वस्तु/कार्य का नाम	मैन पावर (50 उच्च कुशल–विद् मैन (कम्प्यूटर मय ऑपरेटर), 50 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एवं 15 वाहन चालक कर्मचारी) पूर्णतः ठेका पद्धति पर (जॉब बेसिस पर) उपलब्ध करवाने हेतु
3	बोली प्रक्रिया	मदवार एकल स्तर दो कवर बिडिंगः– दो भाग (तकनीकी एवं वित्तीय) खुली प्रतियोगिता में ई–बिड प्रक्रिया
4	बोली मूल्यांकन मापदंड (चुनाव प्रणाली)	कम से कम कीमत आधारित चयन (LCBS)
5	बोली दस्तावेज, शुद्धिपत्र, परिशिष्ट इत्यादि डाउनलोड करने के लिए वेबसाईट	https://sppp.rajasthan.gov.in/ https://eproc.rajasthan.gov.in/ https://www.environment.rajasthan.gov.in/rpcb
6	बोली की अनुमानित राशि	• 50 उच्च कुशल–मशीन विद् मैन (कम्प्यूटर मय ऑपरेटर)ः रूपये 84 लाख • 50चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीः रूपये 70 लाख • 15 वाहन चालकः रूपये 25 लाख
7	बोली प्रतिभूति राशि एवं भुगतान का प्रकार	बोली प्रतिभूति राशिः • 50 उच्च कुशल–मशीन विद् मैन (कम्प्यूटर मय ऑपरेटर) रूपये 1,68,000/– • 50 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी रूपयेः 140,000/– • 15 वाहन चालक रूपयेः 50,000/– भुगतान का प्रकारः– डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/ऑनलाइन, सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जयपुर के नाम देय
8	बोली शुल्क एवं भुगतान का प्रकार	रूपये 1000/– सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जयपुर के नाम डी.डी./बैंकर्स चैक/ऑनलाइन द्वारा
9	RISLप्रोसेसिंग शुल्क एवं भुगतान का प्रकार	रूपये 2000/–MD RISL JAIPUR, के नाम डी.डी./बैंकर्स चैक/द्वारा
10	बोली ऑनलाइन प्रस्तुत करने की आरम्भ/एवं अंतिम दिनांक एवं समय	आरम्भ तिथिः 09.07.2025 अन्तिम तिथिः 28.07.2025 (06:00 PM)
11	बोली ऑनलाइन प्रस्तुत करने का तरीका	ऑनलाइन, E-Proc वेबसाईट पताः– https://eproc.rajasthan.gov.in
12	बोली प्रपत्र शुल्क, RISLप्रोसेसिंग शुल्क, बोली प्रतिभूति जमा करवाने की अंतिम दिनांक एवं समय (डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/ऑनलाईन)	दिनांक–28.07.2025 समय सांय 6:00 बजे तक
13	तकनीकी बोली खोलने की दिनांक/समय/स्थान	दिनांक–29.07.2025 समय–सुबह 11:00 बजे स्थानः– राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, 4, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर

15	बोली वैधता (तकनिकी बिड खोलने की तिथि से)	90 दिन
16	कार्य अवधि (तकनिकी बिड खोलने की तिथि से)	01 वर्ष

इच्छुक बोलीदाता बोली प्रपत्र शुल्क, एवं बोली प्रतिभूति ऑनलाइन भी निम्न खाते में जमा करवा सकते है, ऐसी स्थिति में ऑनलाईन जमा का चालान/ साक्ष्य ऑनलाईन बोली के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य है। साथ ही उक्त बिन्दु संख्या 13 के अनुसार नियत समय से पूर्व भिजवाया जाना आवश्यक है।

Account details

Name of Organisation: Member Secretary, Rajasthan State Pollution Control Board Particulars of BANK ACCOUNT:

- Bank Name: Bank of Baroda
- Branch Name/Branch code: IDS Extention Counter, Jaipur/EXTNEH
- Account Number: 98150100000521
- IFSC Code: BARB0EXTNEH (5th character is Zero)

Note:- Rule of 42 of RTPP shall be applicable for bid security amount.

Rajasthan State Pollution Control Board

Headquarter, 4, Institutional Area, Jhalana Doongri, Jaipur-302004

Phone: 0141-271800, 271816 e-mail: member-secretary@rpcb.nic.in

Toll Free HelpLine No. : 18001806127 Ext. 7

बोलीदाता का नाम ....

1. बोलीदाता का पता ....

....

....

2. बोलीदाता का फोन नं./मोबाइल नं. :– ....

3. वाट्सअप नम्बर :– ....

4. ई–मेल आई.डी. :– ....

रू. ....

5. बोली प्रपत्र के साथ संलग्न सभी शर्तों को पढ़कर हस्ताक्षर कर दिये हैं, इनका पालन करने के लिए में सहमत हूं, तथा पालन करूँगा।

6. बोली को बिना कारण बताए निरस्त करने का अधिकारी राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को होगा।

7. किसी भी प्रकार की विवाद के स्थिति में न्याय क्षेत्र जयपुर होगा।

बोलीदाता के हस्ताक्षर
मय सील

Rajasthan State Pollution Control Board

Headquarter, 4, Institutional Area, Jhalana Doongri, Jaipur-302004

Phone: 0141-271800, 271816 e-mail: member-secretary@rpcb.nic.in

Toll Free HelpLine No. : 18001806127 Ext. 7

बोलीदाता हेतु दिशा–निर्देश

1. बोलीदाता को तकनीकी बोली प्रपत्र के साथ PF, ESI, GST, PAN एवं श्रम विभाग में मानवश्रम आपूर्ति के उद्देश्य के रूप Shop & Commericial Establishment Act में पंजीयन के प्रमाण पत्र की स्वहस्ताक्षरित प्रति संलग्न करनी होगी। विवरण संलग्न प्रपत्र में अंकित करना होगा। तकनीकी बिड में वित्तीय बिड की दरें अंकित ना करें। ऐसा करने पर बोली निरस्त कर दी जायेगी।
2. बोली प्रपत्र एवं शर्तों के प्रत्येक पृष्ठ पर एवं प्रस्तुत/संलग्न डॉक्यूमेंट पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य है। फर्म/संस्था का अधिकृत व्यक्ति जो बोली प्रपत्रों, शर्तों, डॉक्यूमेन्टस पर हस्ताक्षर करेगा उसी के द्वारा अनुबंध तथा समय–समय पर प्रस्तुत किये जाने वाले बिलों पर हस्ताक्षर किये जायेंगे। प्रत्येक पृष्ठ पर नं. अंकित करना होगा।
3. बोली की तकनीकी बोली से संबंधित दस्तावेज Online Pdf File बनाकर Upload करने होगें।
4. सफल तकनीकी संवेदक की बोलीकी वित्तीय बिड Online BOQ में Excel File में डालनी होगी। तकनीकी बोली में सफल संवेदक की ही वित्तीय बिड खोली जायेगी।
5. बोली में भाग लेने वाले बोलीदाता प्रपत्रों को इन्टरनेट साइटhttp://environment.rajasthan.gov.in/rpcbसे भी डाउनलोड (Download) कर सकते है।
6. बोली में भाग लेने वाली बोलीदाताओं को इन्टरनेट साइट http://environment.rajasthan.gov.in/rpcbपर रजिस्टर करवाना होगा। ऑन–लाईनबोली में भाग लेने के लिए Class 3 डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट प्राप्त करना होगा। जो इलेक्ट्रोनिक बोली में साईन करने हेतु काम आयेगा। उपरोक्त डिजिटल सर्टिफिकेट स्वीकृत ऐजेन्सी से प्राप्त कर सकते है।
7. बोलीदाताओं को बोली प्रपत्र इलेक्ट्रोनिक फॉर्मेट में उपरोक्त वेबसाईट पर डिजिटल सिग्नेचर के साथ प्रस्तुत करना होगा। जिनके प्रस्ताव डिजिटल सिग्नेचर के साथ नहीं होगे, उनके प्रस्ताव स्वीकार नहीं किये जायेगे। कोई भी प्रस्ताव अकेले भौतिक रूप में स्वीकार्य नहीं होगें।
8. इलेक्ट्रोनिक बोली प्रपत्रों में जमा करवाने से पूर्व बोलीदाता यह सुनिश्चित कर लेवे कि बोली प्रपत्रों से सम्बंधित सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्केन कॉपी बोलीप्रपत्रों के साथ अटैच/संलग्न कर दी गई है। बोली के प्रपत्र में आवश्यक सभी सूचियों को सम्पूर्ण रूप से भरक ऑन–लाईन दर्ज करें।
9. कोई भी बोली इलैक्ट्रोनिकली जमा कराने में किसी कारण ये विलम्ब हो जाता है तो उसका जिम्मेदार विभाग नहीं होगा।
10. ऑन लाईन बोली निर्धारित दिनांक एवं समय पर उपस्थित बोलीदाताओं के डाउनलोड की जावेगी।
11. तकनीकी बिड में सफल बोलीदाताओं की वित्तीय बिड खोलने की सूचना eproc,SPPP एवं मण्डल की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाकर दी जावेगी। बोली की समस्त प्रक्रिया ऑन लाईन होगी।
12. बोलीदाता बोली प्रपत्र शुल्क, RISL प्रोसेसिंग शुल्क एवं बोली प्रतिभूति जमा कराने के भौतिक साक्ष्य दिनांक 28.07.2025 को बजे सायंकाल 6:00 बजे बन्द लिफाफे में इस कार्यालय में टेण्डर पेटी में आवश्यकरूप से डाले। लिफाफे पर मध्य भाग में स्पष्ट अक्षरों में "मैन पावर बोलीदेय शुल्क" लिखें एवं नीचे सम्बन्धित फर्म का नाम लिखें इसके अभाव में बोली निरस्त कर दी जायेगी।

Rajasthan State Pollution Control Board

Headquarter, 4, Institutional Area, Jhalana Doongri, Jaipur-302004

Phone: 0141-271800, 271816 e-mail: member-secretary@rpcb.nic.in

Toll Free HelpLine No. : 18001806127 Ext. 7

सामान्य शर्तें

1. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के अधिकारी, कर्मचारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल संविदा कर्मी उनके रिश्तेदार या कोई तृतीय पक्ष जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इनसे संबंध रखते है, इस बोली में भाग लेने के लिये अपात्र हैं। ऐसी फर्म द्वारा भाग लेने पर उस फर्म व संबंधित कर्मचारी के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही की जाऐगी।
2. बोली की शर्तों व RTPP अधिनियम/नियमों में भिन्नता होने पर RTPP अधिनियम/नियम के प्रावधान प्रभावी होंगे।
3. ई–मेल आई–डी अनिवार्य है तथा ई–मेल आई–डी एवं वाट्सअप नम्बर पर भेजा गया पत्र/आदेश को पावती माना जावेगा।
4. सफल बोलीदाता को बोली स्वीकृति पत्र जारी होने से 10 दिवस की अवधि के भीतर नियमानुसार 500 रूपये के नोन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर करार–पत्र निष्पादन करना होगा तथा करार–पत्र के साथ ही **5%** कार्य संपादन प्रतिभूति राशि डीडी के रूप में जमा करानी होगी।करार–पत्र एवं कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि जमा कराने के पश्चात् कार्यादेश जारी किया जायेगा। निर्धारित समयावधि में करार–पत्र निष्पादन नहीं करने एवं कार्य संपादन प्रतिभति राशि जमा नहीं कराने पर बोली प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जाएगी।
5. बोली प्रतिभूति राशि अनुमानित वित्तिय लागत की 2% होगी।
6. सशर्त बोली स्वीकार नहीं की जायेगी।
7. निर्धारित दिनांक व समय पर ऑन–लाईन अपलोड की गई बोलियों को यथा सूचित स्थान/कार्यालय में उपस्थित बोली दाताओं के समक्ष खोला जावेगा। प्रक्रिया के तहत सर्वप्रथम तकनीकी बोली को खोला जायेगा। इस हेतु गठित कमेटी/सक्षम अधिकारी द्वारा तकनीकी बोलियों का परीक्षण राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम 2013 एवं इस बोली में वर्णित तकनीकी मापदण्डों के अनुसार किया जावेगा।
8. तकनीकी बोली प्रपत्र की सूचनायें मूल्यांकन की अनिवार्य शर्ते है, जिनके आधार पर बोलीदाता संस्था/ठेकेदार की पात्रता का निर्णय किया जायेगा।
9. वित्त विभाग के परिपत्र 3/2013 दिनांक 04.12.2013 के अनुसार संलग्नः
   Annexure A : Compliance with the code of integrity and no Conflict of Interest
   Annexure B : Declaration by Bidders regarding Qualifications
   Annexure C : Grievance Redressal during Procurement Process
   Annexure D : Additional Condition of Contract.
   बोली प्रपत्र का हिस्सा होंगे इन सभी पर हस्ताक्षर करने होगे। Annexure -C में अपील का प्रारूप है।
10. बिलों में नियमानुसार GST देय होगा तथा नियमानुसार बिल से टीडीएस प्रावधानों के अनुसार कटौती की जायेगी।
11. फर्म को गत माह तक देय GST, EPF, ESI चुकाने का प्रमाण आगामी बिल के साथ देना अनिवार्यहोगा।
12. सभी दर GST रहित प्रस्तुत की जावेगी। कर की दर पृथक से अंकित की जायेगी। कर की दर में बदलाव तुरन्त प्रभाव से लागू होगा व बिल पर देय होगा।
13. भुगतान ऑन–लाईन पद्धति से सम्बंधित फर्म के बैंक खाते में अन्य कोई प्रभार पृथक से देय नहीं किया जायेगा।
14. **निविदा अवधि कार्यादेश जारी करनी की की तिथि से एक वर्ष के लिए होगी । अनुबंध अवधि आपसी सहमति से नियमानुसार अथवा नई निविदा होने तक जो भी पहले हो बढ़ायी जा सकती है।**
15. तकनीकी बोली खुलने के बाद 90 दिन तक निविदा वैध होगी।
16. बिना कारण बताये बोली स्वीकृत/अस्वीकृत अथवा निरस्त करने हेतु सदस्य सचिव, राज. राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, जयपुर पूर्ण रूप से अधिकृत होगे।
17. तकनीकी बोली प्रपत्र की सूचनाये मूल्यांकन की अनिवार्य शर्ते है, जिनके आधार पर बोलीदाता संस्था/ठेकेदार की पात्रता का निर्णय किया जावेगा, तकनीकी बिड में चयनित बोलीदाता की ही वित्तीय बोली खोली जायेगी।
18. बिड प्रपत्र का मूल्य 1000/–रू. निर्धारित किया जाता है। प्रत्येक बिडदाता के द्वारा बिड प्रपत्र फीस का डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/ऑनलाईन, सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल जयपुर के नाम बिड को संलग्न करना अनिवार्य है। इसके अभाव में बिड निरस्त कर दी जायेगी।
19. RISL फीस 2000/– प्रत्येक बिड दाता के द्वारा Managing Director,RISLजयपुर के नाम बनाकर संलग्न करना अनिवार्य है। इसके अभाव में बिड स्वीकार नहीं की जायेगी।
20. प्रतिभूति राशि पर सचिव, राज. राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया जायेगा।
21. समस्त विधिक कार्यवाही का न्याय क्षेत्र जयपुर होगा।
22. सफल बोलीदाता द्वारा करार केपश्चात् बोली की किसी भी शर्त का उल्लंघन प्रमाणित होने पर सफल बोलीदाता के विरूद्ध रूपये 1000/– पेनल्टी लगायी जा सकेगी। यह पेनल्टी विशिष्ट शर्तों में वर्णित अन्य पेनल्टी से अतिरिक्त होगी।
23. बातचीत (Negotiation) :–जहां तक संभव हो बोलीदाताओं से कोई बातचीत (Negotiation) नहीं की जायेगी, किन्तु प्रस्तुत दर एवं राज्य मण्डल द्वारा निधारित दरो में भारी अन्तर होने पर न्यूनतम व अधिकतम लाभप्रद बोली लगाने वाले से बातचीत की जा सकेगी ।
24. बोलीदाता फर्म/संस्था होने की स्थिति में सभी भागीदारों द्वारा तथा प्रबंधियों के नाम पते देने होंगे तथा फर्म की भागीदारी डीड/संस्था के संविधान व उद्देश्यों की स्वाहस्ताक्षरित फोटो प्रति संलग्न करनी होगी।

Rajasthan State Pollution Control Board

Headquarter, 4, Institutional Area, Jhalana Doongri, Jaipur-302004

Phone: 0141-271800, 271816 e-mail: member-secretary@rpcb.nic.in

Toll Free HelpLine No. : 18001806127 Ext. 7

25. अपील फाईल करने के लिए फीस –
    1. प्रथम अपील के लिए फीस रूपये 2500/–दो हजार पांच सौ रूपये और द्वितीय अपील के लिए रूपये 10,000/–दस हजार रूपये होगी जो अप्रतिदेय होगी।
    2. फीस का संदाय किसी अधिसूचित बैंक के बैंक मांगदेय ड्राफ्ट या बैंकर चैक के रूप में किया जायेगा, जो संबंधित अपील प्राधिकारी के नाम देय होगा।
26. अपील का प्रारूपः–
    1. धारा 38 की उप–धारा (1) या (4) के अधीन कोई अपील प्रारूप में उतनी प्रतियों के साथ होगी जितने की अपील में प्रत्यर्थी है।
    2. प्रत्येक अपील उस आदेश जिसके विरूद्ध अपील की गयी है यदि कोई हो अपील में कथित तथ्यों को सत्यापित करने वाले शपथपत्र और फीस के संदाय के सबूत के साथ होगी।
    3. प्रत्येक अपील प्रथम अपील प्राधिकारी या यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी को व्यक्तिशः या रजिस्ट्रकृत डाक द्वारा या प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत की जा सकेगी।
27. अपील के निपटारे की प्रक्रिया :–
    1. **विवाद की स्थिति में प्रथम अपील अधिकारी–सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, जयपुर एवं द्वितीय अपील अधिकारी–अध्यक्ष, राज. राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, जयपुर होंगे।**
    2. प्रथम अपील प्राधिकारी या यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी अपील फाइल किये जाने पर प्रत्यर्थी को अपील शपथ पत्र और दस्तावेजों यदि कोई हो कि प्रति के साथ नोटिस जारी करेगा और सुनवाई की तारीख नियत करेगा।
    3. सुनवाई के लिए नियत तारीख को प्रथम अपील प्राधिकारी या यथास्थिति द्वितीय अपील प्राधिकारी
       (क) उसके समक्ष उपस्थित अपील के समस्त पक्षकारों की सुनवाई करेगा और
       (ख)मामले से संबंधित दस्तावेजों सुसंगत अभिलेख या उनकी प्रतियों का अवलोकन या निरीक्षण करेगा।
    4. पक्षकारों की सुनवाईमामले से संबंधित अपील प्राधिकारी लिखित में आदेश जारी करेगा और अपील पक्षकारों को उक्त आदेश की प्रति निःशुल्क उपलब्ध करायेगा।
    5. उप नियम (3) के अधीन पारित आदेश राज्य लोक उपापन पोर्टल पर भी दर्शित किया जायेगा।

   उपरोक्तशर्तों को स्वीकार करने के प्रमाण में मेरे द्वारा हस्ताक्षर किए जाते हैं।

28. अनुबंधों की शर्तों तथा किसी अन्य संबंधित मामलों में **अध्यक्ष**, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल का निर्णय अंतिम व मान्य होगा।

C:\Users\lenovo\Desktop\Tender Order Final 2025.docx

Rajasthan State Pollution Control Board

Headquarter, 4, Institutional Area, Jhalana Doongri, Jaipur-302004

Phone: 0141-271800, 271816 e-mail: member-secretary@rpcb.nic.in

Toll Free HelpLine No. : 18001806127 Ext. 7

श्रमिक सेवा निष्पादक विशिष्ट शर्तें

1. बोलीदाता के पास, सेवाकर खाता संख्या एवं आयकर खाता संख्या (पेन) होना आवश्यक है।
2. संवेदक द्वारा माह के बिल मय उपस्थिति माह की 5 तारीख तक प्रस्तुत करना होगा। जिसका सत्यापन कार्यादेश से कराना होगा। भुगतान ऑन–लाईन NEFT पद्धति से किया जायेगा। EPF,ESI,GSTजमा कराने का चालान आगामी माह में बिल के साथ प्रस्तुत करना होगा। इसमें सभी सेवा निष्पादक के नाम स्पष्ट रूप से अंकित होंगे।
3. संवेदक द्वारा सेवा निष्पादक को मासिक भुगतान बैंक खाते में ऑनलाईन ही किया जायेगा व भुगतान का प्रमाण मय बैंक स्टेटमेंट आगामी बिल के साथ प्रस्तुत करना होगा। इसमें समस्त सेवा निष्पादक के नाम मय बैंक खाता संख्या अंकित होनी चाहिये। संवेदक द्वारा अपने लेटर हैंड पर यह प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा कि उसके द्वारा पिछले माह का भुगतान (मय EPF,ESI) समस्त श्रमिकों को बिना किसी कटौती के कर दिया गया है।
4. बोलीदाता सेवा शुल्क की अव्यवहारिक दरें प्रस्तुत ना करें। न्यूनतम सेवा शुल्क की दर एक रूपये होगी। दरें पूर्ण रूपये में ही स्वीकार होगी उदारहण रू. 1,2,3,4,5,100,200 प्रति सेवा निष्पादक। सर्विस चार्ज 01 रूपये से कम प्रस्तुत करने पर बोलीअस्वीकार कर दी जायेगी। दशमलव के बाद अंक 00 होगा। पैसे में राशि स्वीकार्य नहीं होगी।
5. कार्यालय द्वारा सेवा प्रदात्ता को भुगतान में यदि देरी भी होती है तो भी संवेदक को सेवा निष्पादक को 7 तारीख तक भुगतान आवश्यक रूप से ही करना होगा। 7 तारीख के पश्चात् देरी होने पर प्रति दिवस 1000/–प्रति कार्मिक पेनल्टी लगेगी। उक्त पेनल्टी की कटौती आगामी माह के बिल से की जाऐगी। कार्यालय से सेवाप्रदाता को भुगतान में देरी के समस्त प्रकरण लिखित शिकायत प्राप्त होने पर इसे कार्यालय द्वारा 10 दिवस में निस्तारण किये जायेगें।
6. सफल बोलीदाता के निर्धारण का मापदण्ड वित्तीय बोली की तालिका में कॉलम संख्या 07 में अंकित प्रति इकाई राशि होगी। जिस बोलीदाता की कॉलम संख्या 07 में अंकित कुल राशि प्रति इकाई सबसे कम होगी उसे ही सफल माना जायेगा।
7. एक से अधिक बोलीदाता की दरें यदि न्यूनतम व समान है तो सर्वप्रथम स्थानीय (जयपुर स्थित) फर्म को प्राथमिकता दी जायेगी। यदि दो स्थानीय फर्म की दरें समान है तो Turnoverमें अधिक राशि वाली फर्म को प्राथमिकता दी जाएगी तदोपरांत गत तीन वर्षो के अनुभव वाली फर्म को प्राथमिकता दी जाएगी। इस सम्बन्ध में उपापन समिति का निर्णय अंतिम होगा व सभी बोलीदाताओं को मान्य होगा।
8. कौशल विकास योजना, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना व भारत सरकार की अन्य योजनाओं में सेवा निष्पादक को कार्यालय द्वारा आदेशित करने पर जोड़ा जायेगा।
9. राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952, एवं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948, के अन्तर्गत नियमानुसार पंजीकृत संवेदक ही बोली में भाग लेने हेतु अर्हत होंगे। पंजीकृत प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि पूर्ण रूप से भरे हुए दस्तावेज के साथ संवेदक को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
10. सेवा निष्पादक सामान्यतः राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के कार्यालय समय के अनुसार उपलब्ध कराने होंगे किन्तु आवश्यकता पडने पर अवकाश के दिन भी कार्य पर बुलाया जा सकता है जिसका कोई अलग से भुगतान नहीं किया जायेगा।
11. श्रम विभाग/मण्डल स्तर से यदि दरों में संशोधन किया जाता है तो सेवा प्रदात्ता द्वारा उसका भुगतान बढ़ी हुयी दरों के अनुसार किया जायेगा। जिसका पुनर्भरण राज्य मण्डल द्वारा किया जायेगा।
12. सेवाप्रदात्ता किसी कार्मिक को लगाने, हटाने से पूर्व इस कार्यालय से अनुमति प्राप्त करे।
13. समस्त सेवा निष्पादक को प्रत्येक माह के पारिश्रमिक भुगतान की स्लिप देनी होगी जिसमें श्रमिक की श्रेणी व किये गये दिवसों व श्रमिक के बैंक खातों का उल्लेख होगा।
14. सनदी लेखाकार द्वारा दिये गये टर्नओवर सर्टिफिकेटUDIN पद्धति से ही मान्य होंगे।
15. बिलों में नियमानुसार GSTदेय होगा तथा TDS की कटौती की जायेगी।
16. सेवा प्रदात्ता एजेन्सी द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाली मैन पावर अस्थायी होगी तथा ठेका अवधि समाप्त होने पर उसके द्वारा लगाये कार्मियों की सेवाये स्वतः ही समाप्त हो जावेगी। सेवाओं को किसी भी नियमित नियुक्ति एवं नियोजन के संबंध में कोई अधिकारी नहीं होंगे। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियत्रंण मंडल एवं कार्यरत कार्मिकों के मध्य किसी भी प्रकार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबंध नहीं होगा। ठेकेदार श्रम विभाग की दरों नियम एवं विनियम आदि की पालना स्वयं के स्तर पर सुनिश्चित करेगा। अनुबंध से पूर्व बोलीदाता द्वारा सेवाओं को उक्त पदों हेतु उपयुक्त अभ्यर्थियों की सूची (योग्यता एवं अनुभव अंकित करते हुये) प्रस्तुत करनी होगी। जिन व्यक्तियों हेतु राजस्थान राज्य प्रदूषण नियत्रंण मंडल द्वारा सहमति प्रदान की जायेगी उन व्यक्तियों की ही सेवायें अनुबंधकर्त्ता द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी।
17. संवेदक को मैन पावर विद् मशीन,वाहन चालक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी राज. राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, जयपुर में आवश्यकतानुसार उपलब्ध करवानेहोंगे।अतिरिक्त मांग की स्थिति में 3 दिवस में कार्मिक उपलब्ध कराने होंगे एवं इनकी संख्या में कमी/बढ़ोतरी की जा सकेगी।
18. संवेदक संबंधित व्यक्ति की शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता संबंधी कागजात/दस्तावेजों की स्वः हस्ताक्षरित फोटो प्रति रखेगा एवं उन पर मूल दस्तावेजों से मिलान करने का अंकन अपनी ओर से करेगा। कार्यालय द्वारा अधिकृत व्यक्तियों द्वारा मांगने पर संवेदक उक्त अभिलेखों को दिखाऐगा एवं मांगने पर फोटोप्रति भी उपलब्ध करवाएगा। शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक कागजात/दस्तावेज लेने एवं योग्यता होने की सुनिश्चितता संबंधी दायित्व संवेदक का होगा। इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता अथवा कमी होने पर संवेदक कानूनी कार्यवाही का उत्तरदायी होगा।

Rajasthan State Pollution Control Board
Headquarter, 4, Institutional Area, Jhalana Doongri, Jaipur-302004
Phone: 0141-271800, 271816 e-mail: member-secretary@rpcb.nic.in
Toll Free HelpLine No. : 18001806127 Ext. 7

19. सफल बोलीदाता द्वारा सेवा निष्पादक को बोली अनुबंध की प्रति उपलब्ध करवायी जायेगी। निर्धारित सेवा शुल्क के अलावा सेवा प्रदात्ता को कोई राशि प्राप्त नहीं होगी। अतः बोलीदाता सेवा शुल्क समस्त खर्च (सुपरवाईजर, पारिश्रमिक, बिमा का खर्च सेवा प्रदात्ता द्वारा श्रमिकों को दिनांक 7 से पूर्व किये गये मासिक भुगतान जिसका पुनर्भरण कार्यालय से शेष हो) के अनुसार व्यवहारिक सेवा शुल्क की दरें प्रस्तुत करें।
20. किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति/दंड एवं शास्ती की राशि ठेकेदार को देय किसी भी प्रकार के भुगतान अथवा प्रतिभूति राशि में से वसूल करने का अधिकार इस विभाग का होगा।
21. सफल सेवाप्रदात्ता को नियोजित पुराने ठेका श्रमिक जो वर्तमान में अनुबंध के तहत भी कार्य कर रहे हों, इनके EPF की राशि नवीन खाते में दो माह में स्थानान्तरित की जायेगी।
22. सेवाप्रदात्ता सेवा निष्पादक से कोई नकद कमीशन नहीं लेगा, ना ही सेवा निष्पादक को सेवा समाप्ति के संबंध में परेशान करेगा। सेवा निष्पादक को लगाने व हटाने से पूर्व कार्यालय से अनुमति प्राप्त करनी होगी। उक्त के संबंध में प्रमाणित शिकायत प्राप्त होने पर श्रम विभाग को सूचित कर उपापन संस्था द्वारा RTPPनियमानुसार DEBAR व कार्य आदेश निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी।
23. सेवाप्रदात्ता सेवा निष्पादक को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना व प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से जोड़ेगा। इसके प्रीमियम का भुगतान सेवाप्रदाता स्वयं अपने खर्च पर करना होगा।
24. बोलीदाता का सक्षम श्रम अधिकारी से श्रम प्रावधानों के अंतर्गत मानवश्रम आपूर्ति के उद्देश्य के रूप मेShop & Commercial Establishment Act में पंजीयन या इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अन्तर्गत या इंण्डियन कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत पंजीकरण होना आवश्यक है।
25. फर्म के गठन आदि में किसी भी परिवर्तन की सूचना सदस्य सचिव,राज. राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, जयपुर को लिखित में संवेदक द्वारा दी जायेगी तथा इस परिवर्तन से संविदा के अधीन किसी भी दायित्व से, फर्म जो पहले सदस्य/सदस्यों को मुक्त नहीं किया जाएगा तथा फर्म में नया/नये भागीदार, संविदा शर्तों/नियमों को पूर्ण रूप से मानने/स्वीकार करने के लिए बध्य होगा/होंगे।
26. बोलीदाता फर्म का पिछले तीन वित्तीय वर्षों (2021-22,2022-23,2023-24) में प्रत्येक वित्तीय वर्ष में Assessed Turnover कम से कम 40.00 लाख रू. (प्रपत्र..1.)होना चाहिए। इसके लिए बोलीदाता को बोली प्रपत्र के साथद्वारा जारी Turnover Certificate की प्रति संलग्न करना आवश्यक होगा। CA द्वारा जारी Turnover प्रमाण पत्र UDIN पद्धति से होना चाहिये।UDINन. अंकित होने चाहिये
27. सेवाओं का समय राज्य सरकार के निर्धारित नोर्म्स के अनुसार होगा, किन्तु आवश्यक होने पर समय से पूर्व अथवा पश्चात् अवकाश के दिन भी सेवाएं ली जा सकती है। इसके लिए अलग से कोई भुगतान देय नहीं होगा।
28. बोलीदाता को बोली स्वीकृत होने के पश्चात् 30 दिवस के अंदर ठेका श्रम अधिनियम 1970–71 के नियम 25(1) के तहत लाईसेन्स फार्म संख्या नियम अन्तर्गत 12(1) के तहत प्रतिलिपि प्रेषित करना आवश्यक है।
29. संवेदक द्वारा सेवा के दौरान जान–माल अथवा अन्य अन्य किसी भी प्रकार की हानि होने पर हानि एवं क्षति के लिए संवेदक का उत्तरदायित्व होगा, सदस्य सचिव, राज. राज्य प्रदूषण नियत्रंण मंडल, जयपुर का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।
30. बोलीदाता को राजकीय विभागों/उपक्रमों/स्वायतशाषी संस्थाओंमें सेवा निष्पादक की आपूर्ति कराने का गत तीन वर्षो (2022-23,2023-24,2024-25) का अनुभव होना आवश्यक है और कम से कम 40 सेवा निष्पादक (कम से कम 40 सेवा निष्पादक की आपूर्ति करने का संबंधित विभाग द्वारा जारी कार्य आदेश–एकल आदेश अनिवार्य है) करने का संबंधित विभाग द्वारा जारी कार्य आदेश आवश्यक है।
31. श्रमिकों की संख्या बढ़ाने, घटाने का अधिकार सदस्य सचिव, राज. राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, जयपुर का होगा।
32. संवेदक को यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी बाल श्रमिक/अवयस्क (18 वर्ष की आयु से कम), अवांछनीय व्यक्ति न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध व्यक्ति अथवा असामाजिक तत्व उसके द्वारा नियोजित न हो।
33. संवेदक द्वारा अपने खर्चे पर एक सुपरवाईजर नियुक्त किया जायेगा। जिसका नाम, मो.नम्बर, कार्यालय को उपलब्ध करवाना होगा। सुपरवाईजर श्रमिकों के समस्त विषयों में कार्यालय के लिए Single Point of Contact होगा। सेवा निष्पादक की उपस्थिति, सत्यापन, नियम, समय पर बिल प्रस्तुत करना इत्यादि कार्य सुपरवाईजर का होगा।
34. संवेदक द्वारा आपूर्ति किये जाने वाले व्यक्तियों (मेनपावर)को उनको परिचय पत्र बनाकर देना अनिवार्य होगा, जो राज्य मंडल कार्यालय मुख्यालय में ड्यूटी के दौरान संबंधित व्यक्तियों के पास पॉकेट/गले में पहचान हेतु अनिवार्य होगा। बिना परिचय पत्र के कोई भी व्यक्ति कार्य पर नहीं लिया जावेगा। इसके अतिरिक्त जॉब श्रमिक को वोटर आई.डी. अथवा आधार कार्ड, दोनों में से कोई एक आई.डी. रखनी होगी। जो माँगने पर दिखानी होगी।
35. राज्य सरकार की सुसंगत विधिक प्रावधानों एवं श्रम विभाग के नियमों तथा न्यूनतम मजदूरों के अन्तर्गत देय पारिश्रमिक नियमों के पालना संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संवदेक का होगा। न्यूनतम मजदूरी अनुसार भुगतान करने का दायित्व संवेदक का ही रहेगा।
36. सेवा निष्पादक से किसी भी प्रकार का नुकसान, चोरी, हानि आदि होने पर संवेदक से वसूली की जायेगी।
37. सेवा निष्पादक को सम्बन्धित कार्यस्थल के प्रभारी अधिकारी के निर्देशनुसार कार्य करना होगा।
38. बोलीदाता को सक्षम पुलिस अधिकारी का चरित्र प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा जो छः माह से अधिक पुराना न हो (संलग्न करें)।
39. संवेदक को राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के प्रावधानों के तहत स्वीकृत प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृती के अनुसार स्वीकृत दर से इस कार्यालय के आदेशानुसार मानदेय पर कार्मिक उपलब्ध करवाना होगा। उक्त मानदेय में समस्त कर व कटोतिया यथा GST,EPF,ESI इत्यादि सम्मिलित होगी।

Rajasthan State Pollution Control Board
Headquarter, 4, Institutional Area, Jhalana Doongri, Jaipur-302004
Phone: 0141-271800, 271816 e-mail: member-secretary@rpcb.nic.in
Toll Free HelpLine No. : 18001806127 Ext. 7

40. वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 14/11/2018 के पालना में–
- बोलीदाता (Bidder) के द्वारा बोली प्रस्तुत किये जाने के समय राजस्थान श्रमिक अनुबंधिक अधिनियम एवं श्रमिक अनुबंध,1970/संशोधन अधिनियम, 2014 तथा कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 के अद्यतन प्रावधानों के अन्तर्गत पंजीकरण करवाना आवश्यक है, तो बोलीदाता द्वारा पंजीकरण प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराया जायेगा। यदि नियमों के अन्तर्गत बोलीदाता पंजीकरण बाध्यता की सीमा में नहीं है तो वह तदनुसार वचन–पत्र (Undertaking) प्रस्तुत करते हुए बोली में भाग ले सकता है।
- सफल बोलीदाता को यह शपथ–पत्र (Affidavit) प्रस्तुत करना आवश्यक होगा कि बोली अवधि के दौरान यदि उसके द्वारा राजस्थान श्रमिक अनुबंधित अधिनियम एवं श्रमिक, अनुबंध नियम, 1970/संशोधन अधिनियम, 2014 तथा कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 अन्तर्गत पंजीकरण करवाना आवश्यक है, तो तदानुसार पंजीकरण कराते हुए प्रमाण–पत्र की प्रति संबंधित कार्यालय को उपलब्ध करवाई जायेगी।

41. सेवा प्रदाता का राजस्थान में पंजीकृत कार्यालय होना अनिवार्य है।

42. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एवं वाहन चालक को प्रतिदिन प्रातः 9:30 बजे से सायं 6:00 बजे तक कार्य सम्पादित करना होगा/कार्य दिवस एवं कार्य (राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर परिवर्तनकरने पर तदानुसार मान्य होगा।

43. वाहन चालक की न्यूनतम योग्यता दसवीं पास व लगभग 5 वर्ष का वाहन चलाने का अनुभव एवं हल्का/भारी वाहन चलाने का लाइसेंस जरूरी है।

44. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी न्यूनतम योग्यता आठवीं पास होना जरूरी है। हिन्दी–अंग्रेजी का ज्ञान कार्यालय सम्बन्धी कार्यों हेतु आवश्यक है।

45. अनुबंध के अधिकतम 10 दिवस में श्रमिक उपलब्धं करवाने होंगे। श्रमिक उपलब्ध नहीं करवाने पर अनुपलब्ध कार्मिक 200/– रूपये प्रति कार्मिक प्रति दिवस पेनल्टी लगेगी।

46. मैन विद् मशीन के निरन्तर 3 दिन तक अनुपस्थित रहने पर नियमानुसार पेनल्टी रूपये 200/– काटी जायेगी।

47. 04 दिवस से अधिक कम्प्यूटर बंद रहने पर 200/– रूपये प्रति दिवस की दर से अतिरिक्त कटौती की जायेगी।

48. आवश्यकता/उपयुक्त समझे जाने पर समानान्तर दर अनुबन्ध किया जा सकेगा।

49. उक्त निविदा G.F.&AR RTPP Act. 2012 एवं RTPP Rules 2013 के शर्तो के अध्याधीन रहेगी।

50. न्यूनतम बोलीदाता (L-1) द्वारा कार्य करने में असमर्थ होने पर समान दर पर द्वितीय न्यूनतम बोलीदाता (L-2) को कार्य दिया जा सकेगा तथा न्यूनतम बोलीदाता (L-1) से बोली प्रतिभुति राशि/कार्य सम्पादन प्रतिभुति राशि सम्पादन प्रतिभुति राशि जब्त की जाकर RTPP Act. 2012 व RTPP Rules 2013 के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

उपरोक्त शर्तों को स्वीकार करने के प्रमाण में मेरे द्वारा हस्ताक्षर किए जाते है।

हस्ताक्षर निविदादाता
मय सील

Rajasthan State Pollution Control Board

Headquarter, 4, Institutional Area, Jhalana Doongri, Jaipur-302004

Phone: 0141-271800, 271816 e-mail: member-secretary@rpcb.nic.in

Toll Free HelpLine No. : 18001806127 Ext. 7

तकनीकी बोली प्रपत्र

1.	बोली आमंत्रित करने वाला विभाग	कार्यालय अध्यक्ष (प्रभारी अधिकारी संस्थापन शाखा) राज. राज्य प्रदूषण नियत्रंण मंडल जयपुर
2.	बोली आमन्त्रण का संदर्भ	सूचना संख्या–संस्थापना/**1/2025–26**
3.	बोली के अधीन कार्य का विवरण	मैन पावर (50 उच्च कुशल–विद् मैन (कम्प्यूटर मय ऑपरेटर), 50 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एवं 15 वाहन चालक कर्मचारी)उपलब्ध करवाने हेतु पूर्णत ठेका पद्धति पर दर संविदा
4.	उपापन संस्था	सदस्य सचिव, राज. राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, जयपुर
5.	बोली अपलोड करने की प्रारंभ तिथि	09/07/2025
6.	तकनीकी बोली खोलने की दिनांक, समय व स्थान	29/07/2025 को प्रातः 11:00 बजे कार्यालय सदस्य सचिव, राज. राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, जयपुर।
7.	बोलीदाता फर्म का विवरण	नम:
		पता कार्यालय:
		टेलीफोन नं.:
		मोबाईल नं.:
		प्रधिकृत व्यक्ति का नाम/पदनाम:
		ई–मेल:
		वेबसाइट:
8.	क्या बोलीदाता फर्म/संस्था पंजीकृत है? यदि हां तो...............	
	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	
	पंजीयक कार्यालय/प्राधिकारी	
	विधि, जिसके तहत पंजीकृत हैं	
	पंजीयन की वैधता समाप्ति दिनांक	
	राज्य जिसमें पंजीकृत है।	
9.	गत तीन वर्षों में (2022–23, 23–24, 24–25) राजकीय विभागों, निगमों, सरकारी व अर्द्वसरकारी संस्थाओं एवं राज्य सरकार के अधीन स्वायत्तशाषी संस्थाओं में उपलब्ध करवाये गये संविदा कार्मिकों के संबंध में कार्य आदेश तथा कार्य पूर्णता प्रमाण–पत्र की प्रति संलग्न करें।	कार्यदेश/फर्म पूर्णता प्रमाण–पत्र की प्रति संलग्न करें।
10.	राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 का पंजीकरण	प्रमाणित दस्तावेज बोली में अपलोड करें।
11.	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 का पंजीकरण	प्रमाणित दस्तावेज बोली में अपलोड करें।
12.	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 का पंजीकरण	प्रमाणित दस्तावेज बोली में अपलोड करें।
13.	वस्तु एवं सेवा कर (GST) का पंजीकरण	प्रमाणित दस्तावेज बोली में अपलोड करें।
14.	आयकर (पेन) का पंजीकरण	प्रमाणित दस्तावेज बोली में अपलोड करें।
15.	फर्म के वित्तीय वर्ष 2021–22, 2022–23, 2023–24के CA द्वारा अंकेक्षित UDIN No सहीत Turnover Certificate	प्रमाणित दस्तावेज बोली में अपलोड करें।

Rajasthan State Pollution Control Board

Headquarter, 4, Institutional Area, Jhalana Doongri, Jaipur-302004

Phone: 0141-271800, 271816 e-mail: member-secretary@rpcb.nic.in

Toll Free HelpLine No. : 18001806127 Ext. 7

वित्तविभाग के परिपत्र दिनांक 30.04.2018 के अनुसार बोलीदाता/संवेदक द्वारा पंजीकरण इत्यादि का विवरण नियमानुसार प्रस्तुत करे।

क्र.सं.	विवरण	रजि सं.	वर्ष	पंजीकरण दिनांक	संलग्नक क्रमांक
1.	राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970				
2.	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952				
3.	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948				
4.	वस्तु एवं सेवा कर (GST)				
5.	आयकर (पैन नंबर)				
6.	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958 या इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंतर्गत या इण्डिन कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत				

बोलीदाता हेतु महत्वपूर्ण आवश्यक निर्देश :–

1. वित्तीय दरों को तकनीकी बोली प्रपत्र तथा तकनीकी बोली के साथ अपलोड किये जाने वाले दस्तावेजों में कहीं भी उल्लेख नहीं करे, ऐसा करने पर बिड स्वीकार नहीं की जायेगी।
2. तकनीकी बिड में सफल बोलीदाता को ही वित्तीय बिड खोली जाऐगी।
3. तकनीकी बिड तथा वित्तीय बिड को ऑनलाईन वेबसाइट http://www.eproc.rajasthan.gov.in पर अपलोड करें।
4. तकनीकी बिड को ई–प्रोक्योरमेन्ट पर ही ऑनलाईन अपलोड करें, इस कार्यालय में भौतिक रूप से जमा कराने की आवश्यकता नहीं है।
5. शुल्क RISL फीस जो बिड प्रपत्र में निर्धारित की गई है के डी.डी. दिनांक.28.07.2025 को दोपहर सायंकाल 6:00 बजे तक बन्द लिफाफे मेंइस कार्यालय में टेण्डर पेटी में अवश्य डाले। लिफाफे पर मध्य भाग में स्पष्ट अक्षरों में "मेन पावर बोली देय शुल्क" लिखे एवं नीचे संबंधित फर्म का नाम लिखें। उसके बाद डी.डी. प्रस्तुत करने वाले बोलीदाताओं की तकनीकी एवं वित्तीय बोली नहीं खोली जायेगी।
6. बिड की पूर्ण जानकारी विभागीय वेबसाइटhttp://environment.rajasthan.gov.in/rpcbपर देखी जा सकती है।

Rajasthan State Pollution Control Board

Headquarter, 4, Institutional Area, Jhalana Doongri, Jaipur-302004

Phone: 0141-271800, 271816 e-mail: member-secretary@rpcb.nic.in

Toll Free HelpLine No. : 18001806127 Ext. 7

बोलीदाता द्वारा तकनीकी रूप से पात्र होने की घोषणा

1. यह कि मैं/हम (नाम)................................. सदस्य सचिव, राज. राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, जयपुर द्वारा प्रकाशित बोली सूचना संख्या .... दिनांक .... के प्रत्युत्तर के बोली में वर्णित सेवाए उपलब्ध कराने के लिए एतद् द्वारा तकनीकी बोली प्रस्तुत कर रहा हूँ/रहे हैं। तकनीकी बोली के साथ निम्नलिखित दस्तावेज/प्रपत्र भी प्रस्तुत कर रहा हूँ/रहे हैं:–
   - (1). बोली प्रपत्र शुल्क राशि 1000/– रूपये जमा कराने का विवरण (छाया प्रति) पृष्ठ संख्या ....
   - (2). बिड प्रोसेसिंग फीस का 1000/– जमा कराने का विवरण (छाया प्रति) पृष्ठ संख्या ....
   - (3). बोलीदाता फर्म/संस्था के पंजीकरण का विवरण पृष्ठ संख्या ....
   - (4). गत तीन वित्तिय वर्षो में सेवाएँ उपलब्धता का कार्य का अनुभव पृष्ठ संख्या ....
   - (5). श्रम विभाग द्वारा जारी लाईसेन्स का विवरण एवं वैधता तिथि पृष्ठ संख्या ....
   - (6). पैन (PAN) पृष्ठ संख्या ....
   - (7). जीएसटी (GST) पंजीयन का विवरण पृष्ठ संख्या ....
   - (8). ESI पंजीयन (नवीनतम) प्रमाण पत्र पृष्ठ संख्या ....
   - (9). EPF पंजीयन (नवीनतम) प्रमाण पत्र पृष्ठ संख्या ....
   - (10). अनुभव प्रमाण पत्र पृष्ठ संख्या ....
   - (11). सनदी लेखाकार का टर्नओवर प्रमाण पत्र पृष्ठ संख्या ....
   - (12). बैंक खाता पासबुक, निरस्त चैक की छाया प्रति पृष्ठ संख्या ......
   - (13). फर्म के वित्ती वर्ष 2021–22, 2022–2023, 2023–24 के ITR Return संलग्न करें। पृष्ठ संख्या ......

2. यह कि इस बोली के संबंध में समस्त शर्तें मेरे/हमारे द्वारा अच्छी तरह से पढ व समझ ली गई हैं, जिसके प्रमाण स्वरूप इस शर्त प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर दिये गये हैं। मैं/हम उन शर्तों की पालना करने के लिए वचनबद्ध हूँ/हैं।
3. यह है किइस बोली के तहत अनुबन्ध होने से पूर्व मेरे द्वारा श्रम विभाग के सक्षम अधिकारी से श्रमिक ठेकालाइसेंस लेना होगा, उतनी संख्या में श्रमिकों का बीमा मेरे/हमारे द्वारा कराया जायेगा।
4. वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 30.04.2018 के अनुसार पंजीकरण के समस्त विवरण उपलब्ध करवा दिये गये है।
5. यह कि मेरी/हमारी तरफ से कोई अतिरिक्त शर्त नहीं रखी गई है।

   नोटः– तकनीकी बोली में उपरोक्त बिन्दु मूल्यांकन की अनिवार्य शर्त है, जिनके आधार पर बोलीदाता संस्था/ठेकेदार की पात्रता का निर्णय किया जावेगा।

बोलीदाता के हस्ताक्षर	
दिनांक	
ठेकेदार/संस्था का नाम	
संस्था की स्थिति में हस्ताक्षर करने वाले का नाम व पदनाम	
दूरभाष संख्या (कोड सहित) **मोबाईल फोन नम्बर**	
ई–मेल	

Rajasthan State Pollution Control Board

Headquarter, 4, Institutional Area, Jhalana Doongri, Jaipur-302004

Phone: 0141-271800, 271816 e-mail: member-secretary@rpcb.nic.in

Toll Free HelpLine No. : 18001806127 Ext. 7

E-PORC पर वित्तीय बोली अपलोड करने हेतु प्रपत्र

संवेदक के माध्यम से सेवाओं के उपापन के लिए बोली में दरें निम्नानुसार प्रपत्र में प्रस्तुत की जावेगी।

क्र. सं.	सेवा का नाम/कार्य की	कार्य हेतु आवश्यक मानव संशाधनों की अनुमानित संख्या	रा.रा.प्र.मं. द्वारा निर्धारित न्युनतम मजदूरी दर प्रति व्यक्ति/प्रति माह	EPF दर प्रतिशत	ESIदर प्रतिशत	सेवा प्रदाता का सर्विस चार्ज राशि	कुल राशि रू. प्रति व्यक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8 (4+5+6+7 का योग)
1	मैन पावर विद् मशीन (कम्प्यूटर ऑपरेटर) सेवा शुल्क में Computer,Printer, UPS का किराया सम्मिलित होगा।(उच्च कुशल)	50	12,000/–	13%	3.25%		
2	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी(अकुशल)	50	10,000/–	13%	3.25%		
3	वाहन चालक(कुशल)	15	12,000/–	13%	3.25%		

नोटः– न्युनतम मजदूरी दरें रा.प्र.नि.मं. के आदेश क्रमांक एफ.I (632)/रा.प्र.नि.मं./स्था./3283–3289 दिनांक 08/11/2024 के अनुसरण में अंकित की गयी है। जो किराज्य मण्डल द्वारा आयोजित 153 वी बोर्ड मीटिंग एजेन्डा नम्बर 153.08 द्वारा अनुमोदित है।

1. वित्तीय बोली प्रपत्र मात्र E-PROC पोर्टल पर निर्धारित BOQ Excel Fileद्वारा अपलोड करनी है किसी भी स्थिति में दरें तकनीकी बोली के साथ प्रस्तुत ना करें। ऐसा करने पर बोली निरस्त कर दी जायेगी।
2. न्यूनतम दरदाता का निर्धारण श्रेणीवार कॉलम संख्या 07 में न्यूनतम आधार पर किया जायेगा।

हस्ताक्षर
बोलीदातामय दिनांक व पता

Rajasthan State Pollution Control Board

Headquarter, 4, Institutional Area, Jhalana Doongri, Jaipur-302004
Phone: 0141-271800, 271816 e-mail: member-secretary@rpcb.nic.in
Toll Free HelpLine No. : 18001806127 Ext. 7

कम्प्यूटर सिस्टम मय प्रशिक्षित कार्मिक का विवरण जाँच/कार्य एवं विशिष्ट शर्तें:–

1. Computer System- Including the following items with specifications.
   - A. Computer-Intel Core i5/ more than 06 genration, RAM 8 GB or higher, SSD 256 GB or more,17" LED/Moniter/TFT, ,Standard Keyboard, Optical Mouse, Standard Serial, Parallel & USB Ports Window 10 or higher, Anti Virus, Preinstalled MS Office, Responsibility of software license will be borne by the contractor.
   - B. Printer- Black and white laser printer with speed 15 ppm or more For specification needs(HP Canon &Higger)
   - C. UPS- Online/Offline UPS for above Computer and Printer with 30 minutes battery backup.
2. Trained Personnel
   - A. The Personnel should be Graduate; should have knowledge to operate computer in Window/Linux environment, good knowledge/practice in Word Processor, Spread Sheet and Internet operations and other office related computer operations and should have sufficient speed of typing in Hindi and English& Also &Kruti Dev Hindi (Mangal Font) Typing Work.
3. जॉब कार्य– कम्प्यूटर सिस्टम मय प्रशिक्षित कार्मिक (ऑपरेटर) का जाँच/कार्य का विवरण इस प्रकार है'–
   1. राजकीय कार्य दिवस में प्रातः 9.30 बजे से साय 6.00 बजे तक कार्य करना एवं आवश्यकता अनुसार राजपत्रित अवकाश में भी कार्यालय बुलाया जा सकेगा जिसके लिए कोई अतिरिक्त पारिश्रमक देय नहीं है।
   2. हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषा में पर्याप्त गति से टंकण कार्य एवं प्रिन्टिंग करना।
   3. डाटा एन्ट्री का कार्य करना।
   4. एम.एस.वर्ड., एम.एस.एक्सल, पावर पॉईन्ट आदि में कार्य करना।
   5. ई–मेल करना/प्राप्त करना।
   6. विभिन्न पोर्टल/मोड्यूलस से सूचनाओं का अपलोड एवं अद्यतन करना।
   7. ई–गवर्नेंस में कम्प्यूटर तकनीक पर आधारित संबंधित कार्य करना।
   8. संबंधित अधिकारी द्वारा उपर्युक्त बिन्दुओं से संबंधित एवं सूचना तकनीक से संबंधित अन्य कार्य आवंटित कार्य करना।

C:\Users\lenovo\Desktop\Tender Order Final 2025.docx

Rajasthan State Pollution Control Board

Headquarter, 4, Institutional Area, Jhalana Doongri, Jaipur-302004

Phone: 0141-271800, 271816 e-mail: member-secretary@rpcb.nic.in

Toll Free HelpLine No. : 18001806127 Ext. 7

विभिन्न कार्यों को सम्पादित करने वाले व्यक्ति हेतु योग्यता का विवरण

श्रेणी	जॉब श्रमिकों/कार्य का संक्षिप्त विवरण	उक्त कार्य करने बाबत् निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता
1.	उच्च कुशलः अनुसूची भाग 1 एवं 2 में वर्णित नियोजनों में नियोजित श्रमिकों/कर्मचारियों का वर्गीकरण के अनुसार।	संवेदक उक्त पदों हेतु नियमित भर्ती हेतु राज्य सरकार द्वारा विहित शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता अनुसार उपलब्ध करवायेगा। 1. संवेदक सम्बन्धित व्यक्ति की शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता संबंधी कागजात/दस्तावेजों की स्वहस्ताक्षरित फोटो प्रति रखेगा एवं उन पर मूल दस्तावेजों से मिलान करने का अंकन अपनी ओर से करेगा। 2. कार्यालय द्वारा अधिकृत व्यक्तियों द्वारा मांगने पर संवेदक उक्त अभिलेखों को दिखाऐगा एवं मांगने पर फोटो प्रति भी उपलब्ध करवाऐगा। 3. शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक कागजात/दस्तावेज लेने एवं योग्यता होने की सुनिश्चितता सम्बंधी दायित्व संवेदक का होगा। इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता एवं कमी होने पर संवेदक कानूनी कार्यवाही का उत्तरदायी होगा।

विशेष विवरणः— उच्च कुशल कार्य से आशय है ऐसा कोई भी कार्य जिसमें संघन तकनीक या व्यवसायिक प्रशिक्षण या लम्बे वर्षों के व्यवहारिक कार्य के अनुभव के आधार पर अर्जित कुछ खास कार्य के सम्पादन में पूर्णता की डिग्री और पूर्ण क्षमता की आवश्यकता होती है, सम्मिलित है।

नोटः— उपरोक्त सभी जॉब श्रमिक 18 वर्ष से कम एवं 50 वर्ष से अधिक आयु के नहीं होंगे एवं दिखने में शारीरिक रूप से हष्ठ—पुष्ठ एवं चुस्त—दुरूस्त होना चाहिए।

हस्ताक्षर

बोलीदाता मय दिनांक व पता

Annexure A : Compliance with the Code of Intergrity and No Conflict of Interest

Any Person Participating in a Procurement process shall -

(A). not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;

(B). not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;

(C). not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to unpair the transparency, fairness and progress of the procurement process;

(D). not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;

(E). not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;

(F). not obstruct any investigation or audit of a procurement process;

(G). disclose conflict of interest, if any; and

(H). disclose any previous transgressions with any Entityin India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest:-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest.

A Conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests, that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

1. A Bidder may be considered to be in Conflict of Interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to:

a. have controlling partners/shareholders in common, or

b. receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or

c. have the same legal representative for purposes of the Bid; or

d. have a relationship with other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or

e. the Bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as as Bidder, in more than one Bid; or

f. the Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, Works or Services that are the subject of the Bid; or

g. Bidder or any of its affiliates has been hired for is proposed to be hired by the procuring Entity as engineer-in-charge consutant for the contract.

Rajasthan State Pollution Control Board

Headquarter, 4, Institutional Area, Jhalana Doongri, Jaipur-302004

Phone: 0141-271800, 271816 e-mail: member-secretary@rpcb.nic.in

Toll Free HelpLine No. : 18001806127 Ext. 7

Annexure B: Declaration by the Bidder regarding Qualifications

Declaration by the Bidder

In relation to my/our Bid submitted to .... for procurement of .... in response to their Notice Inviting Bid No. .... Dated .... I/we hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that:-

1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence requied by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;
2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document;
3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
4. I/we do not have, and our directors and officers not have been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date:

Place:

Signature of bidder

Name:

Designation:

Address:

Rajasthan State Pollution Control Board
Headquarter, 4, Institutional Area, Jhalana Doongri, Jaipur-302004
Phone: 0141-271800, 271816 e-mail: member-secretary@rpcb.nic.in
Toll Free HelpLine No. : 18001806127 Ext. 7

Annexure C: Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and address of the First Appellate Authority is MS, RSPCB, Jaipur
The designation and address of the Second Appellate Authority is CP, RSPCB, Jaipur

1) **Filing an appeal**

   If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued thereunder, he may file an appeal to First Appellate Authority as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved;

   Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings;

   Provided futher that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

2) The officer to whom an appeal is filed under para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.
3) IF the officer designated under para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specifiled in para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

4) **Appeal not to lie in certain cases**

   No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely:-
   a) determination of need of procurement;
   b) provisions limiting participation of Bidders in the Bid process;
   c) the decision of whether or not to enter into negotiations;
   d) cancellation of a procurement process;
   e) Applicability of the provisions of confidentiality.
5) **Form of Appeal**
   a) An appeal under para (1) or (3) above shall be in the annexed form along with as many copies as there are respondents in the appeal.
   b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.
   c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may he, in person or through registerd post or authorised representative.
6) **Fee for filing appeal**
   a) Fee for firstappeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.
   b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.
7) **Procedure for disposal of appeal**
   a) The first Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.

b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall;
   i. hear all the parties to appeal present before him; and
   ii. peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.

c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies theseof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.

d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

Rajasthan State Pollution Control Board
Headquarter, 4, Institutional Area, Jhalana Doongri, Jaipur-302004
Phone: 0141-271800, 271816 e-mail: member-secretary@rpcb.nic.in
Toll Free HelpLine No. : 18001806127 Ext. 7

Form No.1
[See rule 83]

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act,2012

Appeal No............ of ....
Before the .... (First/Second Appellate Authority)

1) Particulars of appellant:
   I. Name of the appellant:

   II. Official address, if any:

   III. Resisential address:

2) Name and address of the respondent (s):
   I.
   II.
   III.
3) Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer/authority whopassed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of theProcuring Entity contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved:
4) If the Appellant proposes to be represented By a representative, the name and postal address of the representative:
5) Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:
6) Grounds of appeal:
   ....
   .... (Suppoted by an affidavit)
7) Prayer:
   ....
   ....
   ....

Place ....
Date ....
Appellant's Signature

1. Correction of arithmetical errors

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis :

I. if these is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected.

II. if there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and total shall be corrected; and

III. if these is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

if the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid securing Declaration shall be executed.

2. Procuring Entity's Right to Vary Quantities

(i) At the time of award of contract, the quantity of Goods, Works or services originally specified in the bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the Bid and the conditions of contract.

(ii) If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.

(iii) In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 50% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the supplier fails to do so, the Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the supplier.

3. Dividing quantities among more than one Bidder at the time of award (In case of procurement of Goods)

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the Bidder. whose Bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter or procurement to be procured is of critical and vital nature, in such cases the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the second lowest Bidder or even more manner at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted.

Rajasthan State Pollution Control Board

Headquarter, 4, Institutional Area, Jhalana Doongri, Jaipur-302004

Phone: 0141-271800, 271816 e-mail: member-secretary@rpcb.nic.in

Toll Free HelpLine No. : 18001806127 Ext. 7

प्रपत्र

वित्तीय टर्न ऑवर(CA द्वारा अंकेक्षित Turnover Certificate with UDIN नम्बर के आधार पर

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	टर्न ऑवर (राशि रू. लाखों में)
1.	2021–22	
2.	2022–23	
3.	2023–24	

सी.ए. द्वारा जारी सर्टीफीकेट संलग्न करना अनिवार्य है।

(हस्ताक्षर बोलीदाता मय मोहर)

C:\Users\lenovo\Desktop\Tendor Order Final 2025.docx

Rajasthan State Pollution Control Board

Headquarter, 4, Institutional Area, Jhalana Doongri, Jaipur-302004

Phone: 0141-271800, 271816 e-mail: member-secretary@rpcb.nic.in

Toll Free HelpLine No. : 18001806127 Ext. 7

प्रपत्र

अनुभव कार्य का विवरण (तीन वर्षों से पुराना नहीं)

क्र.सं.	संस्थान का नाम	वर्ष	कार्य की अवधि	उपलब्ध करवाये गये श्रमिकों की संख्या
1.		2022—22		
2.		2023—24		
3.		2024—25		

(हस्ताक्षर बोलीदाता मय मोहर)